न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 22/2016/अजमेर (2016/00056)

करणी सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह, निवासी के–106, जावला हाऊस, आनासागर सर्क्यूलर रोड़, कृष्ण गज, अजमेर।

अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत नियम 18 आयुद्ध अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश क्रमांक न्याय/शस्त्र/16533 दिनांक 6–10–2016

————

उपस्थितः 1– श्री कौशल सिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय

दिनांक : 28–4–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष उनके पूर्वजों से प्राप्त बंदूक 9 एम.एम. मेनलीगर जो 1959 से उनके नाम थी जिसे उन्होंने वृद्धावस्था एवं रखरखाव में आने वाली कठिनाईयों के कारण हयरलूम पॉलिसी के अन्तर्गत अपीलार्थी के नाम करने हेतु नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 6–10–2016 से खारिज कर दिया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के उक्त आदेश दिनांक 6–10–2016 से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि अपीलार्थी सेना से अवकाश पर अपने

निवास पहुंचा तो जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित अदरेश दिनांक 6–10–2016 प्राप्त हुआ। तत्पश्चात दीपावली पर अपीलार्थी को सेना से अवकाश मिलने पर अपीलार्थी जोधपुर व ग्राम जावला पारिवारिक कार्य से जाने के बाद दिनांक 7–11–2016 को अजमेर पहुंचा। इस कारण अपील समयावधि में पेश नहीं कर सका। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने अपीलार्थी की धारा–5 मियाद अधिनियम की बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष जनवरी, 2014 में नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने का आश्वासन दिया। नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हलका पटवारी, पुलिस थाना क्रिश्चयन गंज, सीआईडी, वन विभाग व जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट भी अपीलार्थी के पक्ष में आ चुकी थी।

उनका यह भी तर्क है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से जांच रिपोर्ट चाही गई जो अपीलार्थी के पक्ष में प्राप्त हो चुकी है। अपीलार्थी एयर फोर्स का सक्रिय पॉयलट है एवं अपने परिवार से अधिकांशतः हजारो किलो मीटर दूर पदस्थापित है। सक्रिय पायलट होने से ऐयरबेस संबंधित सूचनाएं अपीलार्थी के पास होती है। अवकाशकाल में अपीलार्थी को स्वयं के वाहन से कई बार घर आना जाना रहता है। अपीलार्थी की पोस्टिंग के सभी स्थान निवास से 500–2000 किलो मीटर की दूरी पर है तथा कई स्थान आंतरिक रूप से आवागमन हेतु असुरक्षित एवं नक्सल प्रभावित क्षैत्र है जहां सदेव यात्रा के समय जान का खतरा बना रहता है। चम्बल बीहड आदि से गुजरना

पड़ता है। पड़ौसी देश के एजेन्ट्स भी अपीलार्थी के पीछे सक्रिय रहते है। ऐसे में ऑफ ड्यूटी/अवकाश काल में स्वयं की एवं परिवार की जानमाल की हिफाजत करने हेतु अपीलाथी के पास हथियार होना आवश्यक है। सरकार की गुप्त सूचनाएं भी अपीलार्थी के पास होने से सक्रिय पॉयलट्स को जान का हमेशा खतरा बना रहता है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी के कमाण्डिंग ऑफिसर विंग कमाण्डर द्वारा भी चरित्र सर्टिफिकेट दिनांक 14—3—2014 को जारी करते हुए प्रमाण्ति किया है कि अपीलार्थी एयर फोर्स द्वारा गन/पिस्टल चलाने हेतु प्रशिक्षित है व अपीलार्थी को व्यक्तिगत हथियार हेतु गन लाईसेंस जारी करने की अभिशंषा की है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के दादा उस समय 83 वर्ष के थे उनके द्वारा उनके पूर्वजों से प्राप्त बन्दूक 9 एम.एम मेनलीगर जो 1959 से उनके नाम थी अपनी वृद्धावस्था के कारण बन्दूक के रखरखाव में आने वाली कठिनाई के कारण अपीलार्थी के नाम करने हेतु दिनांक 16—1—2014 को ही आवेदन पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया था। हेयरलूम पॉलिसी अन्तर्गत 70 वर्ष की आयु अथवा 20—25 वर्ष तक शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी अपने हथियार को अपने पुत्र, पुत्री आदि को बन्दूक/हथियार हस्तांतरण करना चाहता हो तो नवीन अनुज्ञा पत्र मिनिस्टरी ऑफ होम अफेयर्स के अन्तर्गत किया जा सकता है।

उनका यह भी कथन है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को अपीलार्थी के दादा के स्वयं के अनुज्ञा पत्र निरस्तीकरण बाबत सहमति सलंग्न करने हेतु लिखा एवं स्वयं हस्ताक्षरित पत्र प्रस्तुत कर दिया था कि अपीलार्थी (पौत्र) के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी होते ही उनके शस्त्र का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जावे। उसके बावजूद भी अपलार्थी का नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र आवेदन पत्र दिनांक 6—10—2016 द्वारा अपास्त कर कानूनी भूल की है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलार्थी का नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आवेदन पत्र अपीलार्थी को किसी से जानमाल का खतरा नहीं होने के आधार पर खारिज किया है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश दिनांक 6—10—2016 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी एयरफोसमें पायलट है तथा राजकीय कार्य से एवं स्वयं के वाहन से कई बार इधर से उधर यात्रा करनी पड़ती है। आंतरिक रूप से आवागमन हेतु असुरक्षित नक्सल एवं दस्यू प्रभावित क्षैत्रों में यात्रा के दौरान जान का खतरा रहता है इसलिए स्वयं की रक्षा हेतु हथियार अतिआवश्यक है।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपीलार्थी के दादा ठा. हनुमान सिंह के नाम से जारी बंदूक 9 एम.एम. मेनलीगर स्नूकर एम 1905 क्रम संख्या 5322 लाईसेंस नम्बर 1710/59 से लाईसेंसधारी थे। उक्त लाईसेंस गत 20–25 वर्ष से अजमेरसे ही नवीनीकृत होता आ रहा है। अपीलार्थी के दादा की मृत्यु उपरान्त उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र अपीलार्थी के नाम हस्तांतरण करने हेतु आवेदन पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

यहां यह उल्लेखनीय होगा कि प्रस्तुत प्रकरण में विषय वस्तु को दो भागों में विभक्त किया जावे। प्रथमतः (1) नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र के लिए अपीलार्थी के द्वारा आवेदन की आवश्यकता एवं अपीलार्थी की पात्रता, एवं (2) **Family heirloom policy** के तहत शस्त्र का हस्तांतरण (Transfer)। इस क्रम में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. शस्त्र हेतु अनुज्ञा के आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा यह दर्शाना आवश्यक होता है कि किस कारण हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र चाहा गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 12 में " शस्त्र की आवश्यकता में केवल "स्वयं की रक्षा, स्पोर्टस व टारगेट प्रेक्टिस शूटिंग (पैतृक शस्त्र है) बाबत उल्लेख किया गया है।
2. अपीलार्थी द्वारा आवेदन किये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक न्याय/शस्त्र/2016/16533 दिनांक 6–10–2016 द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर एवं ग्वालियर से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र के संबंध में 6 बिन्दुओं पर रिपोर्ट चाही गई थी जिसके बिन्दु संख्या 6 में "**भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय नई दिल्ली के नवीन निर्देशानुसार प्रार्थी को किसी से जानमाल का खतरा हो, प्रार्थी को किसी ने धमकी दी हो, प्रार्थी ने उसके विरूद्ध थाने में रिपोर्ट लिखवाई हो अथवा Family heirloom policy के तहत हो तो उसका भी परीक्षण कर रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया जावे।** "

जिला पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा उनके पत्र क्रमांक वपुअ/ग्वा/आर्म्स/ 300/ 14 दिनांक 16–3–2015 से उक्त सबंध में प्रेषित बिन्दुवार रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 6 में केवल **Family heirloom policy** के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की गई है। जिसमें उल्लेखित है कि आवेदक हिस्ट्रीशीटर नहीं है, आवेदक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है, आवेदक आपराधिक मामलें में दोष सिद्ध नहीं हुआ है, आवेदक के विरूद्ध शांति भंग करने की कार्यवाही नहीं की गई है। आवेदक द्वारा किसी के विरूद्ध रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। बिन्दु संख्या 6 की शेष रिपोर्ट जो "**भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय नई दिल्ली के नवीन निर्देशानुसार प्रार्थी को किसी से जानमाल का खतरा हो, प्रार्थी को किसी ने धमकी दी हो, प्रार्थी ने उसके विरूद्ध थाने में रिपोर्ट लिखवाई हो** " के संबध में जिला पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा कोई रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित नहीं की गई है जो उचित प्रतीत नहीं होती है ।

जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा भी अपने पत्र क्रमांक 26 दिनांक 29–7–2014 में बिन्दु संख्या 6 के क्रम में उललेख किया है कि आवेदक अपने दादा ठाकुर हनुमान सिंह जिनकी उम्र 84 वर्ष हो जाने के कारण उनके नाम दर्ज शस्त्र को प्राप्त करना चाहता है। आवेदक वर्तमान में भारतीय वायुसेना में फाईटर पायलट के पद पर वायुसेना स्टेशन महाराजपुर ग्वालियर म0प्र0 में तैनात है। तैनाती स्थान से भी जांच के उपरान्त आवेदक को नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित है। जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा भी उक्त रिपोर्ट में **प्रार्थी को किसी से जानमाल का खतरा हो, प्रार्थी को किसी ने धमकी दी हो, प्रार्थी ने उसके विरूद्ध थाने में रिपोर्ट लिखवाई हो'' का कोई उल्लेख नहीं किया है।**

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर एवं ग्वालियर, पुलिस अधीक्षक सीआईडी, तहसीलदार, अजमेर, थानाधिकारी, थाना क्रिश्चयन गंज, तहसीलदार, अजमेर वन विभाग, अजमेर से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें अपीलार्थी का व्यवहार व आचरण अच्छा है तथा कभी शांति भंग की कार्यवही नहीं हुई है, का उल्लेख तो है लेकिन किसी भी विभाग द्वारा जांच रिपोर्ट में यह कहीं अंकन नहीं किया है कि अपीलार्थी को किसी विशेष व्यक्ति से जान माल का खतरा है या किसी व्यक्ति के द्वारा अपीलार्थी को धमकी दी जा रही हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं बहस के दौरान भी अपीलार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि अपीलार्थी ने किसी व्यक्ति/अपराधी के विरूद्ध कोई प्रकरण किसी भी थाने में दर्ज कराया हो। अपीलार्थी द्वारा अपने दादा के नाम जारी पैतृक शस्त्र प्राप्ति हेतु जो कारण दर्शित किये गये है वह उचित एवं सन्तोषप्रद प्रतीत नहीं होते है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6–10–2016 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर) का आदेश क्रमांक कअ/न्याय/शस्त्र/ 2016/16533 दिनांक 06–10–2016 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28–4–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर